

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/6971

दिनांक - 28/11/23

प्रार्थीगण  
1 किशनाराम 2  
घमण्डाराम 3 दमाराम 4  
पुरखाराम पिसरान  
पूनमाराम 5 गोरधनराम  
6 चेनाराम 7 हेमाराम  
पिसरान भैराराम जाति  
जाट निवासी बोला  
तहसील व जिला  
बाड़मेर।

बनाम


अप्रार्थीगण

1 जालाराम 2 फूसाराम 3 भूराराम 4 भंवराराम 5 सताराम पिसरान  
गेनाराम 6 प्रेमराम 7 मगाराम पिसरान जेठाराम 8 लेहरीदेवी पत्नी  
जेठाराम 9 अमराराम पुत्र पनाराम 10 करनाराम पुत्र हेमाराम 11  
गेनाराम पुत्र रूपाराम 12 गोमाराम पुत्र पूनमाराम 13 गोमाराम पुत्र  
रूपाराम 14 चैनाराम पुत्र पन्नाराम 15 नेनू पत्नी रूपाराम 16 पन्नी  
पत्नी पन्नाराम 17 बांकाराम 18 बाबूराम पिसरान रूपाराम 19  
भीखाराम पुत्र पन्नाराम 20 मालाराम 21 रामाराम पिसरान रूपाराम  
22 लखमाराम पुत्र पन्नाराम 23 लाछीदेवी पत्नी हेमाराम 24 वीरमाराम  
पुत्र पनाराम 25 गेरीदेवी पत्नी हीराराम 26 टीकूराम पुत्र चौखाराम  
27 दुर्योधन पुत्र चेनाराम 28 पीराराम 29 बांकाराम पिसरान हीराराम  
30 मुकनाराम 31 मालाराम 32 लालाराम पिसरान चौखाराम 33 हवा  
पत्नी चैनाराम 34 जोगाराम 35 डालूराम पिसरान दुर्गाराम 36  
देवाराम मूलाराम 48 धाई पत्नी मूलाराम 49 लिखमाराम 50 सगताराम  
पिसरान मूलाराम जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर  
11 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 179/2023 दिनांक- 27/10/23

## आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बोला पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या  
405/90 रकबा 1.4488 हैक्टेयर, खसरा संख्या 408/89 रकबा 0.3399 हैक्टेयर व खसरा संख्या  
409/94 रकबा 16.6002 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी  
करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई  
करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि  
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग  
द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी  
की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की  
जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 28/11/23

क्रमांक :- रीडर/2023/6972 to 6974  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बोला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. किशनाराम पुत्र पूनमाराम वगैहरा जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जालाराम पुत्र गेनाराम वगैरह जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर